COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES Rs.20

Rs.5 INDIA FIVE RUPEES 5 रु. भारत पाँच रुपये

Rs.5 INDIA FIVE RUPEES 5 रु. भारत पाँच रुपये

78

# न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

निग – 813 – II-16

प्रकरण क्रमांक ........../II /2016 निगरानी

रामकिशुन पुत्र श्री भगोने निवासीग्राम रिपोली तहसील सेवढ़ा जिला दतिया

–प्रार्थी

बनाम

1– गंगाराम पुत्र हल्कू जाटव निवासी हाल डबरा जिला ग्वालियर

2– जगन्नाथ पुत्र श्री छोटेलाल जाटव निवासी ग्राम रिपौली तह. सेवढ़ा जिला दतिया –मुख्य प्रतिप्रार्थी

3– जसवंत

4– गुलाब पुत्रगण श्री छन्तू निवासीगण ग्राम रिपोली तह. सेवढ़ा जिला दतिया

5– पूरन पुत्र श्री छन्तू

6– रामबक्स

7– रामसेवक पुत्रगण श्री भगोने निवासीगण ग्राम बाबडी वाले हनुमान जी के पास इन्दरगढ़ जिला दतिया

8– मनसुख पुत्र श्री भगोने निवासीगण ग्राम रिपौली तह. सेवढ़ा जिला दतिया

9– महेश कुमार

10– अनिल कुमार

श्री ... अभि. द्वारा पेश। 05/3/2016

5/3/16

निग. 813-4/16

11— रवि कुमार पुत्रगण श्री रामगोपाल
निवासीगण सेवढ़ा जिला दतिया
—प्रोफार्मा प्रतिप्रार्थी

**निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू—राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 03.03.2016 न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी सेवढ़ा जिला दतिया प्रकरण क्रमांक 02/अपील/2014—15 व उनमान गंगाराम बनाम जसवंत आदि। तहसीलदार सेवढ़ा का प्रकरण क्रमांक 26/1987—88/अ—6 आदेश दिनांक 22.11.1990 व उनमान छोटे आदि बनाम छन्तू आदि।**

महोदय,

प्रार्थी की ओर से निगरानी प्रार्थना प्रार्थना पत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :—

**संक्षिप्त विवरण :—**

1. यह कि विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 69, 77, 89, 147/2, व 162/1 कुल किता 5 कुल रकवा 1.652 हैक्टर स्थित ग्राम रिपौली तह. सेवढ़ा जिला दतिया के भूमि स्वामी मरी पुत्र श्री कुंजी जाटव थे। बन्दोबस्त के बाद उक्त सर्वे नम्बरान के नये नम्बर 29, 36, 62, 63, 71, 113 बनाये गये है।
2. यह कि मरी आवेदक के काका थे, मरी ने अपने जीवनकाल मे छन्तू, रामकिशुन, मनसुख, रामबक्स व रामसेवक के हित मे वसियतनामा सम्पादित किया था। छन्तू का स्वर्गवास हो गया है जिनके वारिसान प्रतिप्रार्थी क्रमांक 3 लगायत 5 है।
3. यह कि मरी की मृत्यु के बाद विचारण न्यायालय तहसीलदार सेवढ़ा के न्यायालय मे वसियत ग्रहीतागण छन्तू आदि ने नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थी एवं प्रतिप्रार्थी क्रमांक 3 लगायत 5 के पिता छन्तू एवं प्रतिप्रार्थी क्रमांक 6 लगायत 8 के हित मे वसियतनामे के आधार पर नामान्तरण स्वीकार किया गया।
4. यह कि उक्त नामान्तरण आदेश के विरूद्ध प्रतिप्रार्थी क्रमांक 2 ने अपील अनुविभागीय अधिकारी सेवढ़ा के न्यायालय मे प्रस्तुत की

## राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

### अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण कमांक** निगरानी 813–दो/2016 जिला–दतिया

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 8-12-2016 | आवेदक के अधिवक्ता श्री अशोक भार्गव उपस्थित. अनावेदक की और से अधिवक्ता श्री एस0 के0 वाजपेयी उपस्थित. उभयपक्षो के अधिवक्ताओ के तर्क श्रवण किये गये. 2– यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी सेवढा जिला– दतिया द्वारा अपील प्रकरण कमाक 02/2014–15 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 03–03–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है. 3–आवेदक अधिवक्ता ने पुनरीक्षण आवेदन पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त करने तथा पुनरीक्षण आवेदन पत्र को स्वीकार करने का निवेदन किया गया. अनावेदक अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में बताया कि प्रकरण मे विवादित भूमि के भूमिस्वामी मरी पुत्र ज्वाला जाटव थे मरी की कोई संतान नही थी, अनावेदक उसका भतीजा है. मरी की मृत्यु के पश्चात आवेदक ने फर्जी वसियतनामा के आधार पर अपना नामान्तरण करा लिया जिसकी अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 16–05–1988 को नामान्तरण आदेश निरस्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार को | |

इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि वे समस्त हितबद्ध व्यक्तियों को सुचना एवं सुनवायी का अवसर प्रदान कर नामान्तरण आदेश पारित करें. प्रकरण प्रत्यावर्तित किये जाने के पश्चात तहसील न्यायालय द्वारा समस्त हितबद्ध पक्षकारों को पक्षकार बनाये बिना तथा उन्हे सूचना एवं सुनवायी का अवसर दिये बिना मनमानी कार्यवाही करते हुए नामान्तरण आदेश पारित किया गया. तहसील न्यायालय को अपने वरिष्ठ न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करना चाहिये था. अनावेदक भूमिस्वामी का सगा भतीजा है, तथा वह हितबद्ध षक्षकार है. तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण में न तो मुनादी पिटवायी गयी एवं नामान्तरण नियमों का पालन किये बिना विवादित आदेश पारित किया गया ऐसी स्थिति में अनावेदक को तहसील आदेश की कोई जानकारी नही थी. अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष सभी बिन्दुओ को स्पष्ट करते हुए अपील प्रस्तुत की है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उन पर विचार करने के उपरान्त विलम्ब को क्षमा किया है, जो कि न्यायोचित है. ऐसी स्थिति में यह निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है.

4– उभय पक्षो के अधिवक्ताओं के तर्को एवं प्रकरण में उपलब्ध अभिलेख का मेरे द्वारा अध्ययन एवं मनन किया गया. अभिलेख के अध्ययन से में यह पाता हूँ कि प्रकरण में यह

निर्विवादित है कि अनावेदक मृतक भूमिस्वामी मरी का भतीजा है. तथा अनुविभागीय अधिकारी सेवढा द्वारा प्रकरण कमांक 96/85–86 अपील में पारित आदेश दिनांक 16–06–1988 में तहसील न्यायालय को यह स्पष्ट निर्देश दिया था कि वे सभी हितबद्ध पक्षकारों को व्यक्तिगत सूचना एवं सुनवायी का अवसर प्रदान करें, किन्तु तहसील न्यायालय द्वारा उक्त निर्देशों का पालन किये बिना तथा यह जानकारी प्राप्त किये बिना कि मृतक भूमिस्वामी के कौन कौन उत्तराधिकारी हो सकते है . तहसील न्यायालय को अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा दिये गये निर्देशों को पालन करते हुए वे उपरोक्त बिन्दु पर ध्यान रखते हुए कार्यवाही करते, किन्तु उनके द्वारा बिना समुचित प्रकिया का पालन किये बिना आदेश पारित किया गया है. अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश में विलम्ब को क्षमा करने हेतु जो कारण उल्लिखित किये गये हैं, वे प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए पूर्णतः उचित प्रतीत होते है. तथा उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप किये जाने की कोई आवश्यकता प्रतीत नही होती है. जहॉ हितबद्ध पक्षकार को कोई पक्षकार बनाये बिना आदेश पारित किया हो तब ऐसी स्थिति में परिसीमा की गणना हेतु वास्तविक जानकारी के दिनांक को ही आधार बनाया जा सकता है. विलम्ब के आधार पर हितबद्ध पक्षकार को न्याय से वंचित किया जाना न्यायोचित

नही है. अनुविभागीय अधिकारी के न्याायालय में सभी पक्षों को सुनवायी का पूर्ण अवसर प्राप्त है. उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवेदक की यह निगरानी अस्वीकार की जाती है तथा अनुविभागीय अधिकारी सेवढा का आदेश दिनांक 03—03—2016 न्यायोचित होने से स्थिर रखा जाता है. अनुविभागीय अधिकारी उनके समक्ष लंबित प्रकरण का शीघ्र निराकरण करें. अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश की प्रति सहित वापस किया जाये. उभयपक्ष सूचित हो. इस न्यायालय का अभिलेख दाखिल रिकार्ड किया जाये.

सदस्य